

27-8-03

27/8/03

Register No.	557
File No.	2798
Serial No.	25

29-1-04

28/8/03

संख्या-2262/दो-8-2003-53(99)/2002

प्रेषक,

रामबृक्ष प्रसाद,  
विशेष सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कोषाधिकारी,  
झांसी।

नियुक्ति अनुभाग-8

विषय:- चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।  
महोदय,

लखनऊ: दिनांक: 19 जून, 2003

Request - 90

उपर्युक्त विषयक संयुक्त निबंधक (बजट) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या 2262/प्रशासकीय (बजट-2) अनुभाग दिनांक 99.9.2002 की ओर ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्रीमती सुशीला यादव पत्नी श्री छत्रधारी सिंह यादव, सिविल जज (जू०डि०) सुल्तानपुर सम्प्रति झांसी की चिकित्सा पर हुए व्यय रुपये 2,980/- (रुपये आठ हजार सात सौ चालीस मात्र) की चिकित्सा प्रतिपूर्ति हेतु स्वीकृति शासनादेश संख्या-5226/दो-8-02-53(99)/2002 दिनांक 99.9.2002 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2002-2003 में प्रदान की गयी थी परन्तु उक्त धनराशि के आहरित न होने के कारण अब चालू वित्तीय वर्ष 2003-2004 में प्रदान की जाती है।

2- उपर्युक्त व्यय अब वर्तमान वित्तीय वर्ष 2003-2004 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-82 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2098-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-905-सिविल और सेशन न्यायालय-03-जिला एवं सेशन न्यायाधीश-86 -चिकित्सा व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3- उक्त चिकित्सा से सम्बन्धित समस्त बिल/वाउचर्स एवं अनिवायता प्रमाण पत्र मूलरूप में संलग्नकर पूर्व शासनादेश संख्या-5226/दो-8-2002-53(99)/2002 दिनांक 99.9.2002 को प्रेषित किये जा चुके हैं।

4- उक्त शासनादेश संख्या-5226/दो-8-2002-53(99)/2002 दिनांक 99.9.2002 की अन्य शर्तें यथावत लागू रहेंगी।

भवदीय,

(रामबृक्ष प्रसाद)  
विशेष सचिव

368  
S.O. Adm. H/A

D.R. (M)  
26-8-2003

संख्या-2262(9)/दो-8-2003, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित:-

- (9) महालेखाकार, उ० प्र० इलाहाबाद।
- (2) महानिबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।

DR CMV  
for information only.

PS to Reagr (6)

DR CMV

26 AUG 2003

Saw S.K.T.  
31-1-04

file may file?  
31-1-04  
31-1-04  
S.O. Adm. H/A

Request-90

-2-

- (३) संयुक्त निदेशक कोषागार, कचहेरी रोड, इलाहाबाद।
- (४) जिला जज, झोंसी।
- (५) श्री छत्रधारी सिंह यादव, सिविल जज(जू०डि०) मऊरानीपुर झोंसी को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि तत्काल कोषाधिकारी से व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क करने का कष्ट करें।

अज्ञा से,

~~अज्ञा से,~~  
(जय प्रकाश पाल)

अनु सचिव

11/13

Reg. No.	2790
File No.	IV/2790
Serial No.	23

Sh  
11/13  
17-03  
29-1-04

17-03

प्रेषक,  
डी.एच.डी. सोसायटी,  
संयुक्त निबंधक (क्रेडिट),  
उच्च-न्यायालय,  
इलाहाबाद।

सेवा में,  
पुस्तक तीर्थ,  
नियुक्त अनुभाग-4,  
उत्तर प्रदेश शासन,  
लखनऊ।

Request-90

पत्र संख्या / पुरातनतीय क्रेडिट-21 अनुभाग दिनांक  
विषय:- पिंपलता चयन प्रतिपूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोषाधीनकारी, श्री अंतो को संबोधित एवं निबंधक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद को पृथकीकृत शासनादेश संख्या 5229/दो-4-2882-53 [1]/2882, दिनांक 17-12-2882 के तन्मर्मा में सुके, यह कने का निदेश हुआ है कि उक्त शासनादेश के द्वारा जो कर्मचारी सिंह यादव, सिविल जज (जुजो-1), मकरानोपुर, अंतो द्वारा दिये गये पिंपलता चयन को प्रतिपूर्ति हेतु रु 8,748/- (रुये आठ हजार अठ ती पालीस मात्र) को स्वीकृत वित्तीय वर्ष 2882-2883 के आय-चयन को अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2814-न्याय पुरातन-आयोजन-185-दोषानो एवं तत्र न्यायालय-83-बिला एवं तत्र न्यायाधीश-42-अन्य चयन" में प्राप्त हुयो हुयो टाी, लेकिन मानक मद "42-अन्य चयन" में धनराशि उपलब्ध न होने के कारण उक्त स्वीकृत धनराशि रु 8,748/- का अकॉन्ट जनरल न्यायाधीश अंतो को वित्तीय वर्ष 2882-2883 में नहीं दिया जा सका।

इस तन्मर्मा में सुके, यह भी उल्लेख करना है कि वर्ष मान वित्तीय वर्ष 2883-2884 के आय चयन में शासन ने पिंपलता चयन को प्रतिपूर्ति हेतु धनराशि का प्रविधान मानक मद "42-अन्य चयन" के स्तान पर, कई मानक मद "49-पिंपलता चयन" में किया गया है।

अतः आपसे अनुरोध है कि जो कर्मचारी सिंह यादव के पिंपलता चयन प्रतिपूर्ति धनराशि रु 8,748/- के भुगतान हेतु होने वाले चयन को वित्तीय वर्ष ~~2883-2884~~ 2883-2884 के आय-चयन के अनुदान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2814-न्याय पुरातन-आयोजन-185-दोषानो एवं तत्र न्यायालय-83-बिला एवं तत्र न्यायाधीश-49-पिंपलता चयन" के नामे वाले जाने का पुनरीकृत शासनादेश प्राप्त कर, उचित न्यायालय को प्रेषित

2795  
S.O. Admin. M/A-1

101  
D.R.(M)  
16-6-2003

D.P. (M)  
for information  
only.  
May file?  
S. Jyapathu  
31-1-04

करने का कट करे, ताकि जो कर्णधारो सिंह यादव के निजस्ता चयन को प्रतिकूल हेतु उक्त धनराशि का आवंटन किया जा सके ।

भावदीय

हीरामन्द जीवास्तव

संयुक्त निबंधक [कट]

2855

पत्र संख्या / प्रशासकीय [कट-2] अनुभाग,

दिनांक 17-5-03

प्रौद्योगिकी विज्ञानों के सुवर्णादर्श एवं आवक कार्यवाही

हेतु प्रेषित :-

- 1. जनकद व्यावाधीय, शांती के पत्र संख्या 235/9, दिनांक 22-2-2-83 के सम्बन्ध में ।
- 2. कोषाधीय, शांती
- 3. जो कर्णधारो सिंह यादव, लिखित जवा, [कु-डी-1], मलरानोपुर, शांती ।
- 4. उक्त निबंधक [ निम्नोक्त ], उक्त व्यायालय, हलाहाबाद ।

व्यायालय के आगत से

31/2-5/03

हीरामन्द जीवास्तव

संयुक्त निबंधक [कट]

81